प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 68 /2024)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'कतिपय उपग्रह - आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए निबंधनों और शर्तें' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'कतिपय उपग्रह - आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए निबंधनों और शर्तें' पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. पूर्व में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 13.09.2021 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अनुशंसायें देने का अनुरोध किया था। इस संबंध में प्राधिकरण ने दिनांक 27.09.2021 और 23.11.2021 के पत्रों के माध्यम से दूरसंचार विभाग से अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी। इसके उत्तर में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16.08.2022 के एक पत्र के माध्यम से अपेक्षित जानकारी प्रदान की। दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर भादूविप्रा ने 'अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन' विषय पर दिनांक 06.04.2023 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया था।

3. इसी बीच में दूरसंचार अधिनियम, 2023 को दिसंबर 2023 में अधिनियमित किया गया। कतिपय उपग्रह-आधारित सेवाओं के संबंध में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा ने दिनांक 08.02.2024 के एक पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि *"दूरसंचार विभाग के अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अनुशंसायें प्रदान करने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध करने वाले संदर्भ की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, दूरसंचार विभाग से उन विशिष्ट मुद्दों को प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है जिन पर इस विषय पर* भादूविप्रा *की सिफारिशों की आवश्यकता है।*

4. इसके उत्तर में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11.07.2024 को एक नए संदर्भ पत्र के माध्यम से कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 4 और पहली अनुसूची के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत भादूविप्रा से स्थलीय अभिगम सेवाओं के साथ समान अवसर प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम आवंटन के निबंधनों और शर्तों पर अनुशंसाओं का प्रदान करने का अनुरोध है:

(i) एनजीएसओ (गैर-भू स्थिर कक्षा) आधारित स्थाई उपग्रह सेवाएं जो कि डेटा संचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं। भादूविप्रा अपनी अनुशंसाएं में जीएसओ (भू स्थिर कक्षा) आधारित उपग्रह संचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान कराई जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रख सकता है।

(ii) जीएसओ/एनजीएसओ आधारित मोबाइल उपग्रह सेवाएं जो कि वॉयस, पाठ्य, डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं।

5. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए **'कतिपय उपग्रह - आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए निबंधनों और शर्तें'** पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर जारी गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 18 अक्टूबर 2024 तक लिखित टिप्पणियां एवं 25 अक्टूबर 2024 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियां/ प्रतिटिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 28/09/2024

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा